प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 13.05.2025

मिथ्या साक्ष्य गढ़कर एवं झूठे आरोप लगाते हुए गैंगरेप का झूठा अभियोग पंजीकृत कराने वाली महिला अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 08.05.2025 को वादिया/पीड़िता की तहरीर पर थाना मधुबन बापूधाम पर मु0अ0स0- 160/2025 धारा 70(1)/351(2) BNS का पंजीकृत हुआ। जिसमें आवेदिका द्वारा आरोप लगाये गये कि विनीत गर्ग व अन्य अज्ञात के द्वारा पूर्व में खाने में कोई नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार कर वादिया की नग्न फोटो व वीडियों बना लिया था। जिस वीडियो को लेने के लिए वादिया/पीडिता दिनांक 05.05.2025 को विनीत गर्ग द्वारा वादिया को पहलवान ढाबा पर मिलने हेतु बुलाया गया था। विनित गर्ग दो अज्ञात लोगों के साथ मिला इन्होने कहा गाडी में अंदर आ जा अपनी वीडियों व फोटो ले ले वादिया गाडी के अंदर चली गयी जहाँ पर विनीत गर्ग ने अपने दोस्तों के साथ वादिया के साथ बलात्कार कर मधुबन बापूधाम जंगल में फैक देने के सम्बन्ध में आरोप अंकित किये गये है। उक्त के सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पर घटना के अनावर हेतु टीम का गठन किया गया।

विवेचना के क्रम में वादिया के 180 बीएनएसएस के बयान कराये गये। तथा वादिया का मेडिकल कराया गया जिसमें डाक्टर द्वारा मेडिकल से वादिया के साथ कोई आन्तरिक बाह्य चोट नहीं दर्शायी गयी है। और न ही किसी जोर जबरदस्ती के निशान वादिया के शरीर पर पाये गये। उक्त के पश्चात वादिया के 183 बीएनएसएस के बयान माननीय न्याया0 के समक्ष किये गये। जिसके बयानों के अवलोकन से घटना के समय व 183 बीएनएसएस के बयानों से भिन्नता पायी गयी। घटनास्थल का निरीक्षण किया गयो तो सीसीटीवीवी में घटना के समय वादिया पहलवान ढाबे पर आती हुई दिखाई दी है जिसके द्वारा वहाँ पर अकेले ही खाना खाया गया है तथा खाना खाने के उपरान्त वादिया होटल से बाहर अकेली निकली है। कोई उसके साथ नहीं निकला और न ही किसी नें वादिया को गाडी में बैठाया है। वादिया व नामित अभियुक्तगणों की सीडीआर निकलवायी गयी तो दिनांक 05.05.2025 को रात्री में घटना के समय वादिया एवं प्रतिवादी की लोकेशन एक साथ नहीं है दोनों के लोकेशन अलग अलग स्थान की है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादिया ने सोच समझकर प्रतिवादी को फंसाकर पैसा वसूलने के लिए झूठा अभियोग पंजीकृत कराया है। उक्त वादिया/अभियुक्ता को थाना मधुबन बापूधाम की टीम द्वारा आज दिनांक 13.05.2025 को सदरपुर गेट चौकी क्षेत्र बापूधाम के पास से गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

मुकदमा वादिया एवं उसके गैंग के विरुद्ध अन्य थानों में पंजीकृत अभियोगों के बारे में जानकारी की गई जो निम्न है-

1. मु0अ0सं0- 697/2020 धारा 354/504/506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गा0बाद

2. मु0अ0सं0- 338/2021 धारा 420/504 भादवि0 व 03 महामारी अधि0 व 52/53 आपदा प्रबन्धन अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गा0बाद
3. मु0अ0सं0- 167/2024 धारा 504/324 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गा0बाद
4. मु0अ0सं0- 406/2024 धारा 126(2)/352/351(2)/308(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गा0बाद
5. मु0अ0सं0 11/2025 धारा 127(7)/123/308(2)/351(2)/70 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद गा0बाद
6. मु0अ0सं014/2025 धारा 74/126(2) बीएनएस/3(2)(5) एससीएसटी एक्ट , थाना कोतवाली नगर जनपद गा0बाद
7. मु0अ0सं0- 2045/2017 धारा 353/323 भादवि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद
8. मु0अ0सं0- 124/2018 धारा 386/504/506 भादवि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद
9. मु0अ0सं0- 901/2019 धारा 420/467/468/471/504/506/120 बी भादवि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद
10. मु0अ0सं01096/2020 धारा 452/323/504/506 भादवि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद
11. मु0अ0सं0- 1133/2020 धारा 182/323/504/506 भादवि0 थाना सिहानी गेट गा0बाद
12. मु0अ0सं0- 502/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानी गेट गा0बाद
13. मु0अ0सं0- 054/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि0 थाना कविनगर गा0बाद
14. मु0अ0सं0- 351/2025 384/506 भादवि0 थाना कविनगर गा0बाद

मुकदमा वादिया के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण निम्नवत है।

1. मु0अ0सं0- 54/2021 धारा 147/323/504/506 भादवि0 थाना कविनगर गा0बाद
2. 351/2025 धारा 384/506 भादवि0 थाना कविनगर गा0बाद
3. मु0अ0सं0- 1096/2020 धारा 52/323/504/506 भादवि0 थाना सिहानीगेट गा0बाद
4. मु0अ0सं0- 502/2024 धारा 2/3 गैगस्टर थाना सिहानीगेट गा0बाद
5. म0अ0सं0- 406/2024 धारा 126(2)/352/351(2)/308(5) बीएनएस थाना कोतवाली नगर गा0बाद

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वादिया द्वारा दर्ज करायी गयी झूठी एफआईआर की विवेचना से किसी भी घटना की पुष्टि नहीं हुयी बल्कि उसके द्वारा झूठी घटना दिखाते हुये पैसे वसूलने के उद्देश्य से आरोप लगाये गये जो विवेचना में झूठे पाये गये । जिसके आधार पर अभियोग में धारा धारा 70(1)351(2) बीएनएस से परिवर्तित कर धारा 231 बीएनएस में वादिया उपरोक्त द्वारा झूठी साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढना आदि तथ्यों में गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार –एक महिला मिथ्या आरोप अंकित कराने वाली ।

गिरफ्तार करने वाली टीम- थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद ।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मारपीट व फायर करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 12.05.2025 को थाना मसूरी क्षेत्र के ग्राम सिकरोडा में सूचना मिली की दो पक्षों में एक प्लाट को ग्राहक को दिखाने को लेकर के विवाद में मारपीट, गाली गलौज व फायर किया गया, इस सूचना पर चौकी प्रभारी जेल द्वारा मौके पर जाकर त्वरित कार्यवाही करते हुये दोनो पक्षों के व्यक्तियों के विरूद्ध थाना मसूरी पर मु0अ0स0-136/2025 धारा-191(2)/193(2)/ 190/109/352/131 बीएनएस बनाम फकरू आदि 08 नफर के विरूद्व पंजीकृत कराया गया। विवेचना में त्वरित कार्यवाही करते हुए 1. आबिद पुत्र स्व0 इरशाद उम्र करीब 55 वर्ष 2. मोहसीन पुत्र यामीन उम्र करीब 34 वर्ष निवासी गण ग्राम सिकरोडा थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये टीम का गठन कर गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण -

1. आबिद पुत्र स्व0 इरशाद उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम सिकोरडा थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2. मोहसीन पुत्र यामीन उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम सिकरोडा थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त आबिद व मोहसीन के विरूद्ध थाना मसूरी पर मु0अ0स0- 136/2025 धारा 191(2)/193(2)/190/109/352/131 बीएनएस पंजीकृत किया गया व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 20,000/- रुपये व पीली धातु 01 कान की टाप्स बरामद।

दिनांक 12.05.2025 को थाना खोड़ा पर वादी अमित दीक्षित पुत्र श्री जगदीश प्रसाद दीक्षित निवासी वन्दना एन्कलेव खोड़ा जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त चन्दन कुमार द्वारा मेरे घर से सामान व रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना खोड़ा पर धारा 305ए बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर आज दिनांक 13.05.2025 को अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र राम अवतार निवासी मनरेटा जनपद हरदोई हाल पता दीक्षित का मकान वन्दना विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को थाना खोड़ा के पीछे कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 20,000/- रुपये व पीली धातु 01 कान की टाप्स बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त चन्दन कुमार के विरुद्ध धारा 305ए बीएनएस में धारा 331(3),317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त चन्दन कुमार से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त चन्दन कुमार वादी अमित दीक्षित के मकान में किराये पर रहता था। दिनांक 09.05.2025 को वादी अमित दीक्षित अपने परिवार के साथ भागवत कथा सुनने मथुरा वृन्दावन गये हुए थे। तभी अभियुक्त चन्दन कुमार ने ताला तौड़कर अलमारी में रखे 53,000/- रुपये व 01 पीली धातु कान की टाप्स चोरी कर लिये थे। जिनमे से अभियुक्त चन्दन ने 33,000/-रुपये अपने शौक मौज में खर्च कर दिये थे। अभियुक्त आज दिनांक 13.05.2025 को 01 पीली धातु कान की टाप्स बेचने की फिराक में थाना खोड़ा के पीछे कब्रिस्तान के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

चन्दन कुमार पुत्र राम अवतार निवासी मनरेटा जनपद हरदोई हाल पता दीक्षित का मकान वन्दना विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- 20,000/- रुपये व पीली धातु 01 कान की टाप्स बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त चन्दन कुमार के विरुद्ध थाना खोड़ा पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम ।